छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-53/2012/(6)52 नया रायपुर दिनांक 30.04.2013

प्रति,

संचालक,
ग्रामोद्योग संचालनालय
हाथकरघा प्रभाग,
रायपुर,

विषय :- समग्र हाथकरघा विकास योजना नियम 2012 के अनुमोदन बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/हा./बुन.यो./2012-13/1308, दिनांक 10.12.2012 एवं पत्र क्र./हा./बु.यो./स.हा.वि.-161/12-13/365, दिनांक 15.03.2013।

राज्य शासन एतद् द्वारा समग्र हाथकरघा विकास नियम 2012 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियमों की प्रति संलग्न है।

उक्त योजना नियम की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 103/सी.एन. 00487/बजट-5/वित्त/चार 2013 दिनांक 14.03.2013 द्वारा सहमति प्रदान की गई।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही
(रेजीना टोप्पो)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-53/2012/(6)52 नया रायपुर दिनांक 30.04.2013

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके यू.ओ. क्रमांक 103/सी.एन./004787/बजट-5/वित्त/चार 2013 दिनांक 14.03.2013 के संदर्भ में सचूनार्थ।

सही
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग

समग्र हाथकरघा विकास योजना

प्रस्तावना –

छत्तीसगढ़ राज्य में हाथकरघा एक प्रमुख कुटीर उद्योग एवं बुनाई कला की एक समृद्ध परंपरा को स्थापित किये हुए है। इस उद्योग में रोजगार की विपुल संभावनाओं एवं बुनाई के समृद्ध सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए शासन विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से हाथकरघा बुनकरों एवं बुनाई उद्योग को बढ़ावा दे रही है। फिर भी राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर टेक्सटाईल उद्योग में बढ़ते प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस उद्योग एवं हाथकरघा बुनकरो को वैश्विक वातावरण के अनुकूल बनाने तथा उन्हें विकास के समानान्तर स्थापित करने की महती आवश्यकता है। इसके लिए आधुनिक बाजार के मांग एवं ट्रेंड के साथ उत्पादन में गुणवत्ता, डिजाईन में त्वरित परिवर्तन करने के साथ बुनकर कारीगरों को अधिक से अधिक कौशल संपन्न बनाने की आवश्यकता है। अतः राज्य में हाथकरघा उद्योग में रोजगारपरकता को और अधिक विकसित करने हेतु एक एकीकृत योजना समग्र हाथकरघा विकास योजना संचालित की जा रही है।

2. नियम –

यह नियम समग्र हाथकरघा विकास योजना नियम 2012 कहलायेंगें। इन नियमों के अंतर्गत

अ. हाथकरघा उद्योग की विकास एवं विस्तार

ब. हाथकरघा वस्त्र बुनाई/बुनाई सह विपणन में संलग्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बुनकरों को रोजगार के प्रयोजन से प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार, उत्पादन विकास, उत्पाद परिवर्तन, उत्पाद संवर्धन, अधोसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

3. परिभाषाएं –

इन नियमों के प्रयोजन के लिए –

1. बुनकर से तात्पर्य वे सभी कार्यशील बुनकर से है। जिनकी 50 प्रतिशत् आय हाथकरघा वस्त्र बुनाई से अर्जित होता है।
2. संस्था से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति से है।
3. स्वसहायता समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है। जिनके 50 प्रतिशत सदस्य हाथकरघा वस्त्र बुनाई में संलग्न हो।
4. मास्टर विवर्स से तात्पर्य ऐसे बुनकर से है। जो सहकारी क्षेत्र के बाहर न्यूनतम 10 बुनकरों को विगत 5 वर्षों से एक कर्मशाला शेड अथवा अलग-अलग हाथकरघा वस्त्र बुनाई का कार्य, जॉब वर्क के आधार पर करता रहा हो।
5. रोजगार से तात्पर्य पारश्रमिक प्राप्त करने के आशय से बुनकरों को कच्चा माल देकर हाथकरघा के माध्यम से उत्पादन कराता हो।
6. प्रबंध समिति से तात्पर्य छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1961 में प्रावधानित प्रबंध से है।

4. योजना का उद्देश्य –

1. हाथकरघा क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों को चिन्हित कर उन्हें समूह/समिति में संगठित करना।
2. बेरोजगार युवकों को नवीन बुनाई प्रशिक्षण के माध्यम से हाथकरघा बुनाई में संलग्न कर नियमित रोजगार उपलब्ध कराना।
3. आधुनिक बाजार के मांग के अनुरूप उत्पादों में विविधता लाने बुनकरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना।

4. बुनकरों को उनके कार्यस्थल में उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ गुणवत्तायुक्त वस्त्र तैयार करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना।
5. बाजार की मांग को पूरा करने हेतु डिजाईन विकास हेतु उन्नत उपकरण एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।
6. हाथकरघा सघन क्षेत्रों मे डिजाईन विकास हेतु डिजाईनर्स एवं व्यवसायिक विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध कराना।
7. बुनकरों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कर्मशाला/बुनकर आवास सहायता, पेयजल, ड्रेनेज, सड़क एवं बाउंड्रीवाल जैसी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना।
8. हाथकरघा सघन क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु स्थानीय जरूरतो के मुताबिक सहायता उपलब्ध कराना।

5. पात्रता -

समग्र हाथकरघा विकास योजनांतर्गत सहायता की पात्रता उन प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति को होगी, जो निम्न शर्ते पूरी करता हो -

1. वे कार्यशील प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति जिनमें हाथरकघा उद्योग की गतिविधियॉं तथा प्रबंध व्यवस्थित रूप से चल रहा हो एवं जिनका नियमित अंकेक्षण हो रहा हो तथा सहायता प्राप्त होने पर अधिक प्रगति की संभावना हो।
2. ऐसी समिति जो संचालक हाथकरघा छत्तीसगढ़ की अभिमत में सहायता प्राप्त होने पर हाथकरघा उद्योग में रोजगार के अवसर निर्माण करने में सक्षम हो।

6. योजनांतर्गत प्रदत्त सहायता

योजना के उद्देश्य राज्य के सघन हाथकरघा क्षेत्रों में बुनकरों को हाथकरघा उद्योगों से अधिक संख्या में जोड़कर नियमित रोजगार उपलब्ध कराना है। जिससे वे समूह में संगठित होकर बाजारोन्मुख, उत्कृष्ट उत्पादन एवं विपणन के माध्यम से नियमित रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके, साथ ही बुनकरों के लिए समुचित अधोसंरचना निर्माण, आवास, पेय जल आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। योजना के तहत् निम्न घटकों में सहायता प्रस्तावित है :-

6.1 नवीन बुनाई प्रशिक्षण :-

योजना के तहत् ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार एवं हाथकरघा बुनाई को रोजगार के साधन के रूप में अपनाने हेतु इच्छुक युवक/युवतियों को नवीन बुनाई प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

उक्त योजनान्तर्गत सहायता हेतु पात्रता की शर्ते निम्न होगी -

1. प्रशिक्षार्थी हाथकरघा वस्त्र बुनाई को आजिविका का साधन बनाना चाहता हो।
2. नवीन बुनाई प्रशिक्षण हेतु सामान्य वर्ग के हितग्राही की आयु 18 से 35 वर्ष तक होना आवश्यक है, अन्य पिछड़ा वर्ग/अजा/अजजा वर्ग के हितग्राही के मामले में यह सीमा 45 वर्ष होगी।

6.1.1.

नवीन बुनाई प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण की अवधि 4 माह की होगी। प्रशिक्षण 20 प्रशिक्षार्थियों के एक बेच में संपादित किया जावेगा। यह सहायता जिला हाथकरघा अधिकारी की अनुशंसा पर प्रशिक्षण क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी/संस्था/उप/सहायक संचालक हाथकरघा को स्वीकृत की जायेगी। प्रशिक्षक के रूप में मास्टर ट्रेनर/सहायक मास्टर ट्रेनर के चयन हेतु निम्न योग्यता होना आवश्यक है :-

मास्टर ट्रेनर हेतु पात्रता :-

(क) मास्टर ट्रेनर हेतु वस्त्र बुनाई का लगभग 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा बुनकर सेवा केन्द्र से प्रशिक्षित या भारतीय हाथरकघा प्रौद्योगिकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त हो तथा वस्त्र बुनाई में कुशल व दक्ष हो।

(ख) मास्टर ट्रेनर हेतु आयु सीमा 59 वर्ष से अधिक न हो।

सहायक मास्टर ट्रेनर हेतु पात्रता :-

(क) सहायक मास्टर ट्रेनर हेतु वस्त्र बुनाई का लगभग 05 वर्षों का अनुभव हो अथवा बुनकर सेवा केन्द्र से प्रशिक्षित हो।

(ख) सहायक मास्टर ट्रेनर हेतु आयु सीमा 59 वर्ष से अधिक न हो।

6.1.2. सहायता का पैटर्न :-

योजनांतर्गत नवीन बुनाई प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार सहायता प्रदान की जावेगी :-

क्र.	विवरण	राशि
1.	**नवीन बुनाई प्रशिक्षण-** (A) प्रशिक्षार्थियों की संख्या 20 (B) प्रशिक्षण की अवधि 04 माह (C) छात्रवृत्ति प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह Rs. 1,500 Rs. 1,500 x 20 x 4 = Rs. 1,20,000 (D) मास्टर ट्रेनर को मानदेय प्रति माह Rs. 8,000 Rs. 8,000 x 4 = Rs. 32,000 (E) सहायक मास्टर ट्रेनर को मानदेय प्रति माह Rs. 5000 Rs. 5,000 x 4 = Rs. 20,000 (F) प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल प्रति प्रशिक्षार्थी Rs. 5,000 Rs. 5,000 x 20 = Rs. 1,00,000 (G) प्रशिक्षार्थियों हेतु करघे प्रति करघे Rs. 15,000 एवं सहायक उपकरण हेतु Rs. 3,000 Rs. 18,000 x 20 = Rs. 3,60,000 (H) स्थापना व्यय- (भवन किराया, बिजली) प्रति माह Rs. 5,000 Rs. 5,000 x 4 = Rs. 20,000 (I) विविध व्यय- (करघा स्थापना/स्टेशनरी/परिवहन/अन्य व्यय) प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत अनुमानित Rs. 28,000	**6,80,000.00**
	योग- 6,80,000.00	

6.1.3. सहायता की शर्ते :-

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय हो तो क्रियान्वयन समिति को वहन करना होगा।

(ख) प्रशिक्षण के उपरांत सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया जावेगा तथा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा उनको बुनाई कार्य प्रारम्भ करने की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

(ग) क्रियान्वयन समिति प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से अनुबंध पत्र निष्पादित करेगी। जिसकी प्रति जिला हाथकरघा कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

(घ) प्रशिक्षार्थी द्वारा प्रशिक्षण उपरांत किसी अन्य संस्था में सदस्यता ग्रहण करता है, अथवा स्वतंत्र रूप से बुनाई कार्य करता है तो इसकी जानकारी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जिला हाथकरघा कार्यालय को दी जावेगी।

6.2 कौशल उन्नयन बुनाई प्रशिक्षण :-

योजना के तहत् ऐसी कार्यशील समिति के अर्धकुशल बुनकरों को कौशल उन्नयन बुनाई प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहायता दी जावेगी, जो बाजार के अनुरूप नवीन डिजाईन एवं उच्च गुणवत्ता के वस्त्र निर्मित करने के इच्छुक हो। इस हेतु निम्न आर्हता रखने वाले प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे :-

1. आवेदक समिति विगत 3 वर्षों से कार्यशील है तथा जिनका नियमित अंकेक्षण हो रहा हो।
2. संस्था में कम से कम 20 कार्यशील सदस्य बुनाई कार्य में संलग्न हो।

6.2.1. कौशल उन्नयन बुनाई प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षार्थी विगत 3 वर्षों से बुनाई कार्य में संलग्न हो अथवा परंपरागत बुनकर हो या नवीन बुनाई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। प्रशिक्षण अवधि 02 माह की होगी तथा प्रशिक्षण 20 प्रशिक्षार्थियों के एक बेच में सम्पादित किया जावेगा। प्रशिक्षक के रूप में मास्टर ट्रेनर का निम्न योग्यता होना आवश्यक है :-

(क) मास्टर ट्रेनर हेतु वस्त्र बुनाई का लगभग 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा बुनकर सेवा केन्द्र से प्रशिक्षित या भारतीय हाथरकघा प्रौद्योगिकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त हो।

(ख) मास्टर ट्रेनर हेतु आयु सीमा 59 वर्ष से अधिक न हो।

6.2.2. सहायता का पैटर्न :-

योजनांतर्गत कौशल उन्नयन बुनाई प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार सहायता प्रदान की जावेगी :-

क्र.	विवरण	प्रस्तावित राशि
	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण - (A) प्रशिक्षार्थियों की संख्या 20 (B) प्रशिक्षण की अवधि 02 माह (C) छात्रावृत्ति प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति माह Rs. 3,000 Rs. 3,000 x 20 x 2 = Rs. 1,20,000 (D) प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल प्रति प्रशिक्षार्थी Rs. 5,000 Rs. 5,000 x 20 = Rs. 1,00,000 (E) उन्नत उपकरण/डाबी प्रदाय प्रति प्रशिक्षार्थी Rs. 5,000 Rs. 5,000 x 20 = Rs. 1,00,000 (F) मास्टर ट्रेनर को मानदेय प्रति माह Rs. 8,000 Rs. 8,000 x 2 = Rs. 16,000 (G) स्थापना व्यय-	**3,60,000.00**

	(भवन किराया, बिजली) प्रति माह Rs. 5,000 Rs. 5,000 x 2 = Rs. 10,000 (H) विविध व्यय- (करघा स्थापना/स्टेशनरी/परिवहन/अन्य व्यय) अनुमानित Rs. 14,000	
	योग -	**3,60,000.00**

6.2.3. सहायता की शर्ते :-

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय हो तो क्रियान्वयन समिति को वहन करना होगा।

(ख) प्रशिक्षण के उपरांत सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिया जावेगा तथा क्रियान्वयन समिति द्वारा उनको बुनाई कार्य प्रारम्भ करने की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

(ग) क्रियान्वयन समिति प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से अनुबंध पत्र निष्पादित करेगी। जिसकी प्रति जिला हाथकरघा कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।

(घ) प्रशिक्षार्थी द्वारा प्रशिक्षण उपरांत किसी अन्य संस्था में सदस्यता ग्रहण करता है, अथवा स्वतंत्र रूप से बुनाई कार्य करता है तो इसकी जानकारी क्रियान्वयन समिति द्वारा जिला हाथकरघा कार्यालय को दी जावेगी।

6.3. नवीन डिजाईन विकास सहायता :-

आधुनिक बाजार की प्रतिस्पर्धा में हाथकरघा वस्त्र उत्पादों को सम्मिलित करने तथा उत्कृष्ट डिजाईन एवं रंग संयोजन के वस्त्र उत्पादन के माध्यम से बुनकरों को पारिश्रमिक में वृद्धि तथा नियमित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को नये डिजाईनों के विकास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जावेगी। इसके तहत 03 माह के लिए NIFT/NID/IIHT उत्तीर्ण डिजाईनर को नई डिजाईन के लिए समिति में नियुक्त किया जावेगा। डिजाईनर को प्रतिमाह 30,000/- मानदेय दिया जावेगा साथ ही नये डिजाईनों के विकास हेतु कम्प्यूटर एडेड, टेक्सटाईल्स, डिजाईन सिस्टम (CATD SYSTEM) के क्रय व स्थापना रंग पूर्वानुमान COLOUR FOR CASTING तथा प्रवृति पूर्वानुमान TREND FOR CASTING एवं अन्य संबद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 4.60 लाख की अधिकतम सहायता उपलब्ध करायी जावेगी।

डिजाईनों के आधार पर हाथकरघा पर 250 सेम्पल तैयार करने हेतु 0.50 लाख की सहायता प्रदान की जावेगी।

6.3.1. सहायता की शर्ते :-

(क) CATD SYSTEM की स्थापना हेतु समिति के पास पर्याप्त अधोसंरचना होना आवश्यक है।

(ख) CATD SYSTEM के संचालन हेतु समिति को कुशल मानव संसाधन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। SYSTEM के ऑपरेटर व प्रबंधन के लिए पृथक से सहायता नहीं दी जावेगी।

(ग) डिजाईन विकास के लिए सहायता उन समितियों को दी जावेगी, जिनका वार्षिक टर्न ओव्हर 50.00 लाख से अधिक हो।

6.4. अधोसंरचना निर्माण सहायता :-

प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति को ताना मशीन की स्थापना, साइजिंग कार्य, सामान्य सुविधा केन्द्र भवन का निर्माण, रंगाई घर स्थापना, लूम स्थापित करने हेतु कर्मशाला भवन निर्माण, धागा/रंग रसायन के संग्रहण हेतु गोदाम, कार्यलय भवन हेतु सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। सहायता हेतु समिति की आवश्यकता का आंकलन कर भवन निर्माण हेतु समिति के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध होने पर सहायता की पात्रता होगी। भवन निर्माण हेतु शासकीय एजेंसी (लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) के द्वारा तैयार प्राकलन के आधार पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा सकेगी। एक समिति को इस योजनांतर्गत अधिकतम 20.00 लाख तक की सहायता दी जावेगी।

6.4.1. सहायता की शर्ते :-

1. भवन निर्माण हेतु प्राकलन शासकीय एजेंसी द्वारा तैयार होना आवश्यक है।
2. भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि संस्था के नाम एवं स्वामित्व में होना आवश्यक है।
3. आवेदक संस्था कार्यशील हो तथा संस्था का नियमित अद्यतन अंकेक्षण पूर्ण होना आवश्यक है।
4. भवन निर्माण पूर्ण कराने का दायित्व आवेदक संस्था का होगा। निर्माण सामाग्री उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य शासन का नहीं होगा।
5. भवन निर्माण हेतु स्वीकृत सहायता तीन किस्तों में विमुक्त की जावेगी। द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि पूर्व किस्त के राशि का उपयोग एवं प्रगति के आधार पर विमुक्त किया जावेगा। किसी कारण वश यदि निमार्ण कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति आवेदक संस्था को स्वयं के स्रोतों से करनी होगी। सहायता स्वीकृत होने पर इन नियमों का पालन संबंधित संस्था को शासन के पक्ष में एक अनुबंध निष्पादित करना होगा।
6. सहायता प्राप्त होने के एक वर्ष के समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा तथा निर्माण पूर्ण होने पर एक माह की अवधि में पूर्णतः प्रमाण पत्र संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा को जिला हाथकरघा कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
7. योजना के तहत निर्मित सम्पत्ति शासन के पक्ष में रहेगी।
8. योजना के तहत निर्मित ऐसी संपत्ति को अथवा इसके किसी भाग को शासन के स्वीकृति के बिना अन्यत्र बंधक नहीं करेगी, न ही इसका स्वामित्व हस्तांतरित करेगी। न ही इसे लीज अथवा किराये पर दे सकेगी। निर्मित भवन का पूर्ण उपयोग संस्था द्वारा स्वयं के व्यापार विकास हेतु किया जाना आवश्यक है।
9. उपरोक्त नियमों के उलंघन होने पर समस्त सहायता राशि का दुरूपयोग माना जावेगा तथा सम्पूर्ण सहायता राशि की वसूली प्रचलित ब्याज दर सहित एक मुश्त आवेदक संस्था से वसूल की जावेगी।

6.5. करघा गृह हेतु सहायता :-

योजना के तहत समिति के कार्यशील बुनकर सदस्य को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रति बुनकर 50 हजार रूपये के मान से आवास निर्माण हेतु सहायता दिया जावेगा। यह सहायता प्रति आवेदक समिति को एक वर्ष में अधिकतम 25 बुनकरों के लिए अधिकतम 12.50 हजार तक ही दी जावेगी।

6.5.1. सहायता की शर्ते :-

1. आवेदक संस्था में कम से कम 20 कार्यशील बुनकर हो।
2. लाभान्वित बुनकर हितग्राही के पास आवास निर्माण हेतु स्वयं/पत्नी/पति-पत्नी के संयुक्त नाम से भूमि होना आवश्यक है।
3. लाभान्वित बुनकर, संस्था में लगभग तीन वर्षों से नियमित बुनाई कार्य कर रहा हो।

4. समिति में सहायता हेतु उन बुनकरों को प्राथमिकता दी जावेगी, जो निम्नतः आर्थिक स्थिति में हो तथा आवासहीन हो।

5. सहायता हेतु बुनकरों के चयन के लिये निम्न चयन कमेटी होगी :-
क. संबंधित समिति का अध्यक्ष।
ख. संचालक मंडल द्वारा समिति के बुनकर सदस्यों में से चुना गया एक बुनकर सदस्य।
ग. उप/सहायक संचालक, जिला हाथकरघा कार्यालय या उनका प्रतिनिधि।
6. सहायता स्वीकृति के उपरान्त यदि लाभान्वित बुनकर किसी कारण वश सहायता से वंचित होता है तो उसके स्थान पर लाभान्वित किये जाने वाले नवीन बुनकर के नाम का अनुमोदन उपरोक्त कमेटी की अनुशंसा पर संबंधित जिला हाथकरघा अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा।
7. उपरोक्त सहायता दो किश्तों में क्रियान्वयन एजेंसी/संस्था द्वारा हितग्राही बुनकर को चेक के माध्यम से विमुक्त की जावेगी। प्रथम किश्त के उपयोग सुनिश्चित होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त विमुक्त की जावेगी।
8. आवास निर्माण के उपरान्त आवेदक संस्था को बुनकर आवास का मूल्यांकन लो.नि.वि./ग्रा.यां. सेवा के उप अभियंता से कार्यपूर्णतः का मूल्यांकन कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला हाथकरघा कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>6.6. उन्नत उपकरण हेतु सहायता :-</u>

योजनांतर्गत समिति में बुनाई कार्य के इच्छुक करघा विहिन बुनकर को नये करघे अथवा कार्यशील बुनकर सदस्यों को उत्कृष्ट, गुणवत्ता/डिजाईन के वस्त्र तैयार करने हेतु नये करघे, सहायक उपकरण, डाबी, जेकार्ड हेतु सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। यह सहायता निम्न सीमा तक दिया जावेगा :-
1. नये करघे हेतु - प्रति करघे 25000/- के मान से एक आवेदक संस्था को अधिकतम 50 बुनकरों को दिया जावेगा। करघेवार यह सीमा निम्नानुसार होगी-
   अ. पिटलूम हेतु - 10,000/- तक
   ब. फ्रेमलूम (72 इंच तक) हेतु - 15,000/- तक
   स. फ्रेमलूम (108 इंच तक) हेतु - 25,000/- तक

2. उन्नत सहायक उपकरण हेतु - प्रति बुनकर 3000/- के मान से एक आवेदक संस्था को अधिकतम 50 बुनकरों के लिए देय होगा।
3. डाबी/जेकार्ड हेत - प्रति बुनकर 6000/- के मान से एक आवेदक संस्था को अधिकतम 50 बुनकरों के लिए देय होगा।

6.6.1. सहायता की शर्तें :-
1. नये करघे, उन्नत सहायक उपकरण, डाबी, जेकार्ड हेतु सहायता एक आवेदक संस्था को अधिकतम 50 बुनकरों के लिये देय होगा। किन्तु उपरोक्त तीनों सहायता एक बुनकर को एक साथ अथवा आवश्यकतानुसार अलग-अलग बुनकरों को दिया जा सकता है।
2. सहायता प्राप्तकर्ता बुनकर समिति का कार्यशील सदस्या हो, तथा सहायता स्वीकृत होने के उपरांत उसे संस्था का उत्पादन करना अनिवार्य होगा एवं उपकरणों को किसी भी रूप में विक्रय नहीं करेगा।
3. सहायता प्राप्त करने के उपरान्त यदि सहायता प्राप्तकर्ता बुनकर बुनाई कार्य बन्द करता है, तो उसे इन नियमों के तहत प्रदत्त करघे/उपकरण संस्था को वापस करना हो, क्योंकि सहायता देने का उद्देश्य पूर्ण

नहीं होता। इन स्थिति में क्रियान्वयन संस्था संचालक मण्डल के अनुशंसा एवं जिला हाथकरघा कार्यालय के अनुमोदन पश्चात् अन्य पात्र हितग्राही को वितरण कर सकेगी।

4. इन नियमों के अन्तर्गत एक बार किसी बुनकर सदस्य को नये करघे प्रदाय करने के उपरांत 10 वर्ष पश्चात् पुराने करघे खराब/बुनाई योग्य न होने पर पुनः नये करघे की पात्रता होगी। सहायक उपकरण के प्रकरण में यह सीमा 02 वर्ष होगी। परन्तु हाथकरघा उद्योग के विकास/विस्तार एवं नीतिगत परिवर्तनों की स्थिति में अथवा प्रकरण विशेष की स्थिति में संचालक हाथकरघा को यह नियम आवश्यक सीमा तक शिथिल करने का अधिकार होगा।
5. स्वीकृत सहायता का उपयोग उसके निर्गम की तिथि से एक वर्ष के अवधि में किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्गमित राशि मय ब्याज के शासन के पक्ष में वसूल की जावेगी।
6. क्रियान्वयन संस्था को सहायता प्राप्त कर्ता बुनकर से सहायता राशि के नियमानुसार उपयोग हेतु एक अनुबंध निष्पादित करना होगा।

6.7. प्राथमिक बुनकर समितियों के वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार हेतु सहायता :-

योजना के तहत ऐसी प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति जिनके पास कर्मशाला, रंगाईघर, कार्यालय सह गोदाम अथवा समिति के उपयोग के भवन विगत 10 वर्ष पूर्व से निर्मित हो तथा वर्तमान में जीर्णशीर्ण होने के कारण उपयोग में न आ रही हो, ऐसे भवनों के मरम्मत के उपरांत समिति के व्यापार विकास में उपयोग आने की पूर्ण सम्भावना हो तो भवन मरम्मत हेतु शासकीय एजेंसी द्वारा तैयार प्राकलन के आधार पर भवनों के मरम्मत हेतु सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

6.7.1. सहायता की शर्ते :-

1. आवेदक संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व की भवन हो, जिसका निर्माण 10 वर्ष पूर्ण हुआ हो और जीर्णशीर्ण होने के कारण संस्था उसके उपयोग से वंचित हो तथा इन भवनों के मरम्मत उपरांत उपयोग में आने की पूर्ण संभावना हो।
2. संस्था कार्यशील हो तथा जिसका नियमित अद्यतन ऑडिट हो रहा हो।

6.8. बुनकर आवास क्षेत्र में बुनियादी सहायता :-

ऐसे बुनकर कलस्टर क्षेत्र जहां 50 से अधिक बुनकर परिवार निवासरत हो तथा हाथकरघा बुनाई से संलग्न हो वहा बुनकरों को रोड, ड्रेनेस, पेयजल आपूति हेतु नलकूप बाउन्ड्रीवाल आदि बुनियादी सहायता संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस हेतु बुनकर निवासरत क्षेत्र के स्थानीय आवश्यकता का आंकलन संबंधित जिला हाथकरघा कार्यालय द्वारा किया जावेगा तत्पश्चात आवश्यकतानुसार शासकीय एजेंसी लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से प्राकलन तैयार कराया जावेगा। एक आवेदक संस्था को इस योजना के तहत् अधिकतम 10.00 लाख तक की सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

6.9. विपणन विकास हेतु सहायता :-

इस योजना के तहत एक कलस्टर विशेष में उत्पादित हाथकरघा वस्त्रों के प्रचार-प्रसार हेतु 1.00 लाख तक की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। यह सहायता उन आवेदक संस्था को स्वीकृत की जावेगी। जिनका गैर शासकीय वस्त्रों में वार्षिक टर्न ओव्हर 50.00 लाख से अधिक हो तथा संस्था के कार्यक्षेत्र में हाथकरघा उत्पादों के प्रचार-प्रसार से विपणन में अतुलनीय वृद्धि की संभावना होगी। योजना के तहत् आवेदक संस्था को ब्रोसर/केटलॉग, वेबसाईट निर्माण हेतु 1.00 लाख रूपये तक की सहायता दी जावेगी।

7. स्वीकृति की सीमा -

समग्र हाथकरघा विकास के तहत् वित्तीय सहायता हाथकरघा कलस्टर क्षेत्र की आवश्यकता एवं हाथकरघा विकास की संभावनाओं पर निर्भर करेगा। योजना के तहत एक कलस्टर क्षेत्र में आवेदक संस्था को अधिकतम 60.00 लाख तक की सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

8. क्रियान्वयन हेतु समय सीमा -

योजना के क्रियान्वयन एजेंसी को राशि प्राप्ति के एक वर्ष के अंदर उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा राशि चालान द्वारा शासन के पक्ष में कोषालय में जमा करा दी जावेगी। प्रदत्त सहायता राशि संस्था/जिला हाथकरघा अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा रहेगी तथा योजना के प्रगति के अनुसार समय-समय पर विमुक्त की जावेगी।

9. सहायता का स्वरूप -

समग्र हाथकरघा विकास योजना राज्य आयोजना के अंतर्गत होगी योजना के तहत समस्त सहायता राज्य शासन द्वारा लाभान्वित संस्था/बुनकर को अनुदान के रूप में प्रदत्त की जावेगी।

10. प्रोजेक्ट तैयार करना -

जिले में कार्यरत बुनकर सहकारी समिति योजना के नियम/शर्तों के अनुरूप समिति बुनकरों के आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार कर जिला हाथकरघा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला हाथकरघा कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के नियमानुसार परीक्षण कर औचित्य टीप व अनुशंसा सहित संचालक ग्रामोद्योग संस्था को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जावेगी।

11. योजना की स्वीकृति -

उक्त योजनांतर्गत वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति का अधिकार निम्नानुसार होगा-

अ. संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा - पूर्ण अधिकार

ब. संयुक्त संचालक हाथकरघा - अधिकतम 20.00 लाख प्रति प्रकरण

संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा अपने वित्तीय स्वीकृति के अधिकार को विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से संयुक्त/उप/सहायक संचालक हाथकरघा को आंशिक प्रत्यायोजन कर सकेंगें।

<u>12. योजना की मानिटरिंग –</u>

समग्र हाथकरघा विकास योजनांतर्गत स्वीकृत सहायता अनुसार योजना क्रियान्वयन की मानिटरिंग हेतु संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जावेगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

01.	संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा	–	अध्यक्ष
02	प्रबंध संचालक, अपेक्स बुनकर संघ रायपुर	–	सदस्य
03	संयुक्त संचालक, ग्रामोद्योग हाथकरघा	–	सदस्य
04	उप निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, रायगढ़	–	सदस्य
05	उप संचालक, योजना ग्रामोद्योग हाथकरघा	–	सदस्य
06	संचालक द्वारा नामांकित राज्य के दो बुनकर सहकारी समितियों के एक-एक बुनकर प्रतिनिधि	–	सदस्य

<u>13. योजना में संशोधन –</u>

समग्र हाथकरघा विकास के किसी नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन आदि के अधिकार राज्य शासन में निहित होंगे, जो सहायता प्राप्त संस्था के लिए बंधनकारी होंगे।

.... X ....

<u>बुनकर सहकारी समितियों के लिए (समग्र हाथकरघा विकास) योजनार्न्तगत</u>
<u>वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र</u>

1. बुनकर सहकारी समिति का नाम : ....

एवं पत्र व्यवहार का पता : ....

....

2. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : ....

3. संचालक मण्डल का निर्वाचन तिथि : ....

4. वर्तमान संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंधक का नाम : ....

   1. अध्यक्ष : ....

   2. प्रबंधक : ....

5. समिति की मूलभूत जानकारी :-

क्र.	विवरण	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक	सामान्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	कुल सदस्य संख्या						
5.2	महिला सदस्य						
5.3	स्थापित करघे						
5.4	कार्यशील करघे अ. समिति के माध्यम से ब. संघ के माध्यम से स. अन्य के माध्यम से						
5.5	बंद करघों की संख्या						

6. नगद साख सीमा संबंधी जानकारी :-

6.1 बैंक का नाम ....

6.2 नगद साख सीमा स्वीकृत होने का वर्ष : .... राशि ....

6.3 साख सीमा खाते में जमा की गई राशि : ....

6.4 वर्तमान में कालातीत राशि : ....

7. उत्पादन एवं बिक्री की जानकारी :- (विगत तीन वर्षो का)

वर्ष	वस्त्र उत्पादन राशि	बिक्री की राशि
1	2	3

8. लाभ, हानि की जानकारी (विगत तीन वर्षो का) :- (वित्तीय पत्रक संलग्न करें)

वर्ष	व्यापारिक लाभ (+) /हानि (-)	लाभ (+)/हानि (-)	संचित लाभ (+)/हानि (-)
1	2	3	4

9. अंकेक्षण की स्थिति - ....

10. समग्र हाथकरघा विकास योजनान्तर्गत पूर्व में दी गई सहायता का विवरण :-

10.1 स्वीकृत वर्ष .... राशि ....

10.2 उपयोग की गई राशि ....

10.3 कोषालय में जमा की गई राशि ....

अ. चालान क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

ब. चालान क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

स. चालान क्रमांक .... दिनांक .... राशि ....

10.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का पत्र क्रमांक .... व दिनांक .....

11. संस्था का ठहराव (संलग्न करें) ....

12. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (औचित्य टीप सहित) पृथक से संलग्न करें ....

13. कार्य योजना .... संलग्न ....

14. समग्र हाथकरघा विकास योजनान्तर्गत - अंको में ....
मांग की गई कुल सहायता राशि - शब्दो में ....
मदवार प्रस्तावित सहायता -

क्र.	सहायता मद	हितग्राही संख्या/मात्रा/साईज/क्षेत्रफल	राशि	रिमार्क

1	2	3	4	5
1	नवीन बुनाई प्रशिक्षण			
2	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण			
3	नवीन डिजाईन विकास सहायता			
4	प्राथमिक बुनकर समिति अधोसंरचना निर्माण सहायता			
	अ. कर्मशाला भवन			
	ब. रंगाई घर			
	स. कार्यशाला सह गोदाम			
5	बुनकर आवास सह करघा गृह			
6	उन्नत उपकरण हेतु सहायता			
7	प्राथमिक बुनकर समिति के वर्तमान भवन के जीर्णोद्धार हेतु सहायता			
	अ. कर्मशाला भवन			
	ब. रंगाई घर			
	स. कार्यशाला सह गोदाम			
8	बुनकर आवास क्षेत्र में बुनियादी सुविधा हेतु सहायता			
	अ. रोड/ड्रेनेज			
	ब. अन्य			
9	विपणन विकास हेतु सहायता			
	अ. ब्रोशर/कैटलाग			
	ब. वेबसाईट			
	कुल प्रस्तावित सहायता-			

उप/सहायक संचालक
हस्ताक्षर

अध्यक्ष
हस्ताक्षर

प्रपत्र-1

नवीन बुनाई प्रशिक्षण हेतु सहायता

क्र.	विवरण	मात्रा	राशि	रिमार्क

1	2	3	4	5
1	प्रशिक्षार्थी की संख्या			
2	प्रशिक्षण की अवधि			
3	प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति			
4	प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर को मानदेय			
5	सहायक मास्टर ट्रेनर को मानदेय			
6	प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल			
7	प्रशिक्षार्थियों हेतु करघा एवं सहायक उपकरण सहित			
8	स्थापना व्यय (भवन किराया, बिजली व्यय)			
9	विविध व्यय (करघा स्थापना, स्टेशनरी, परिवहन एवं अन्य व्यय) प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत			
	योग –			

प्रपत्र–1 (क)

क्र.	**प्रशिक्षार्थियों का नाम/पिता/पति का नाम**	**आधार न.**	**महिला/ पुरूष**	**जाति**	**वर्ग**	**उम्र**	**पता**	**व्यवसाय**	**हस्ताक्षर**
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

नोट – प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व परिशिष्ट 2 में अनुबंध कराकर जिला कार्यालय में रखे।

प्रपत्र–2

कौशल उन्नयन बुनाई प्रशिक्षण हेतु सहायता

क्र.	**विवरण**	**मात्रा**	**राशि**	**रिमार्क**

1	2	3	4	5
1	प्रशिक्षार्थियों की संख्या			
2	प्रशिक्षण की अवधि			
3	प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति			
4	प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल			
5	उन्नत उपकरण/ डाबी प्रदाय			
6	मास्टर ट्रेनर को मानदेय			
7	स्थापना व्यय (भवन किराया, बिजली व्यय)			
8	विविध व्यय (करघा स्थापना, स्टेशनरी, परिवहन एवं अन्य व्यय)			
	योग –			

प्रपत्र–2 (क)

क्र.	**प्रशिक्षार्थियों का नाम/पिता/पति का नाम**	**आधार न.**	**महिला/ पुरूष**	**जाति**	**वर्ग**	**उम्र**	**पता**	**व्यवसाय**	**हस्ताक्षर**
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

प्रपत्र–3

नवीन डिजाईन विकास सहायता

क्र.	**विवरण**	**मात्रा**	**राशि**	**रिमार्क**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कम्प्यूटर एडेड टेक्सटाईल डिजाईन सिस्टम			
2	डिजाईनर का मानदेय			
3	डिजाईन विकास के लिए सेंपल तैयार करने हेतु सहायता			
4	अन्य			
	योग –			

प्रपत्र–4

प्राथमिक बुनकर समितियों अधोसरंचना निर्माण हेतु सहायता :-

क्र.	**विवरण**	**मात्रा/साईज**	**राशि**	**रिमार्क**

1	2	3	4	5
	योग –			

नोट – 1 शासकीय एजेंसी द्वारा तैयार प्राक्कलन संलग्न करें।
2 समिति के पाास स्वंय की भूमि उपलब्धता संबंधी प्रमाण, नक्शा, खसरा आदि संलग्न करें।
3 परिशिष्ट 3 में करार बिलेख का निष्पादन करावें।

प्रपत्र–4 (क)

वर्तमान में संस्था के पास उपलब्ध अधोसरंचना की जानकारी :–

क्र.	संपत्ति का नाम	निर्मित वर्ष	लागत/मूल्य	संपत्ति स्वनिधि या शासकीय सहायता से निर्मित	वर्तमान में संपत्ति का उपयोग
1	2	3	4	5	6
	योग –				

प्रपत्र–5

बुनकर आवास सह करघा गृह हेतु सहायता :–

क्र.	बुनकर संख्या	राशि	रिमार्क
1	2	3	4
1			
	योग –		

नोट – 1. आवासहीन एवं बी.पी.एल. बुनकरों को प्राथमिकता देंवें।
2. आवेदित बुनकरों की सूची
3. अतिरिक्त राशि वहन करने के संबंध में हितग्राही से सहमति
4 बुनकर के पास भूमि उपलब्धता संबधी बुनकर समिति/सरपंच का प्रमाण पत्र।
5 आवास सह करघा गृह निर्माण पश्चात् उपयंत्री से मूल्यांकन रिर्पोट प्रस्तुत करना होगा।

नोट :– आवेदित बुनकर आवास सह करघा गृह हेतु हितग्राही की सूची का प्रारूप
(पृथक से संलग्न करें)

प्रपत्र–5 (क)

क्र.	बुनकर का नाम	जाति	उम्र	वर्ग	पता	गतवर्ष बुनाई से	सहायता मांग राशि	बुनकर का

						आय		हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-6

उन्नत उपकरण हेतु सहायता

क्र.	विवरण	मात्रा	प्रति करघा/सहायक उपकरण	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	नवीन करघे (साईज सहित)				
	अ. पिटलूम				
	ब. फ्रेम लूम				
2	उन्नत सहायक उपकरण कंघी, बय, शटल, बाबीन आदि की सूची संलग्न करें।				
3	डाबी / जेकार्ड				
	योग -				

नोट :- उन्नत उपकरण हेतु सहायता लेने वाले बुनकरों की सूची संलग्न करें।

प्रपत्र-6 (क)

क्र.	बुनकर का नाम/पिता का नाम	ग्राम	वर्ग	प्रदाय किये जाने वाले करघे/सहायक उपकरणों की संख्या					बुनकर का हस्ताक्षर
				नवीन करघा	सहायक उपकरण				
					कंघी	बय	शटल	बबीन आदि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	योग-								

नोट - करघे/ उपकरण प्रदाय हेतु बुनकरों से परिशिष्ट 4 में अनुबंध कराकर जिला कार्यालय में रखें।

प्रपत्र-7

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार हेतु सहायता

क्र.	विवरण	निर्मित वर्ष	क्षेत्रफल	राशि	रिमार्क

1	2	3	4	5	6
1	कर्मशाला भवन				
2	रंगाई घर				
3	कार्यशाला सह गोदाम				
	योग -				

नोट :- 1 जीर्णोद्धार सहायता हेतु भवन 10 वर्ष पूर्व निर्मित हो।
2 शासकीय एजेंसी द्वारा तैयार प्राक्कलन संलग्न करें।

प्रपत्र-8

बुनकर आवास क्षेत्र में बुनियादी सुविधा हेतु सहायता

क्र.	**विवरण**	**साईज**	**राशि**	**रिमार्क**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	एप्रोच रोड			
2	ड्रेनेज			
3	बाउंड्रीवाल			
4	सार्वजनिक मूत्रालय/शौचालय			
5	पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप			
6	अन्य			
	योग -			

नोट :- क्रमांक 1 से 4 संबंधित सहायता हेतु प्लान इस्टीमेट प्रस्तुत करें एवं 5 के संबंध में शासकीय एजेंसी से पारित कोटेशन की सत्यापित छायाप्रति।

प्रपत्र-9

विपणन विकास हेतु सहायता

क्र.	**विवरण**	**मात्रा/दर**	**राशि**	**रिमार्क**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	ब्रोसर/ कैटलाग			
2	वेबसाईट निर्माण			
	योग -			

<u>// घोषणा पत्र //</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि समग्र हाथकरघा विकास योजनान्र्तगत सहायता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है।
2. समग्र हाथकरघा विकास योजनान्र्तगत प्रत्येक कलस्टर क्षेत्र के सभी कंपोनेंट का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन स्वीकृत वर्ष के 01 वर्ष के अंदर अनिवार्य रूप से की जावेगी। अन्यथा संस्था के बैंक खाते में जमा मूल राशि मय ब्याज चालान द्वारा कोषालय में जमा कराई जावेगी।
3. योजनान्र्तगत स्वीकृत राशि का उपयोग संबंधित मद में नियम अनुसार किया जावेगा। किसी प्रकार दुरूपयोग पाये जाने पर सहायता राशि एकमुश्त मय ब्याज वसूली हेतु हमारी संस्था सहमत है।

हस्ताक्षर एवं सील

.... बुनकर सहकारी समिति मर्यादित.........

<u>जिला हाथकरघा कार्यालय .... का अनुशंसा प्रमाण पत्र</u>

.... बुनकर सहकारी समिति मर्या. .... जिला .... द्वारा (समग्र हाथकरघा विकास) योजनान्र्तगत प्राप्त वित्तीय सहायता प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, सही पाया गया है। अतः उक्त समिति को योजनान्र्तगत राशि रूपये .... मात्र की वित्तीय सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर एवं सील

उप/सहायक संचालक हाथकरघा

(प्रस्ताव के साथ वाटर मार्क पेपर में संलग्न करें।)

परिशिष्ट–एक

// अनुबंध पत्र //

यह अनुबंध आज दिनांक .... को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा छत्तीसगढ़ (जिन्हें स्वीकृतकर्ता कहा गया है) इस संबंध में उसके उत्तराधिकारी जो पद पर हो सम्मिलित करते हुए प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष .... बुनकर सहकारी समिति मर्यादित .... जिला .... जिनका पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... है और जो अपने सचिव/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष के मार्फत कार्य कर रही है, जिसे इसके पश्चात संस्था/इकाई कहा गया है।

चूंकि संस्था/इकाई के आवेदन पत्र के आधार पर संस्था को उनके हाथकरघा वस्त्र उत्पादित प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु इसमें इसके पश्चात दिये गये .... और शर्तो पर रूपया .... अक्षरी.. रूपये मात्र समग्र हाथकरघा विकास योजनान्र्तगत वित्तीय सहायता लेने के लिए सहमत है। अतएव अब यह अनुबंध किया जाता है, कि :-

1. संस्था/इकाई समग्र हाथकरघा विकास योजनान्र्तगत रूपये .... अक्षरी .... रूपये मात्र की प्राप्ति स्वीकार करती है।
1. संस्था/इकाई द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता राशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई है। नियमानुसार उसी प्रयोजन में स्वीकृत नियमों एवं निर्धारित शर्तो के अधीन उपयोग करेगा और उसके किसी भी अंश/भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन मे नही करेगा।
3. संस्था/इकाई ऐसे उद्देश्य तथा निर्देशों का पालन करेगी जो संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा द्वारा समय-समय पर दिये जावेगें। संस्था/इकाई ऐसे नियत कालीन विवरण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जैसे कि संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा समय-समय पर आदेशित करें।
4. उक्त योजनान्तर्गत राशि के दुरूपयोग की स्थिति में दी गई सहायता रकम भू राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति में संचालक ग्रामोद्योग हाथकरघा का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

दिनांक ....

प्रथम पक्ष

साक्षी का नाम व हस्ताक्षर

1.

2.

3.

उप/सहायक संचालक

हाथकरघा छ.ग. रायपुर

<u>द्धितीय पक्ष</u>

नाम एवं पता

सचिव/प्रभारी अधिकारी/संस्था अध्यक्ष

......................बुनकर सहकारी समिति मर्यादित

......................जिला .... छ.ग.

नोट - अनुबंध पत्र वाटर मार्क पेपर पर होगा।

अनुबंध पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत बुनकर सहकारी समितियों को गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण हेतु ऋण एवं अनुदान सहायता नियम 1991 के अंतर्गत राज्य शासन आयुक्त/संचालक हाथकरघा ने अपने ज्ञापन क्रमांक .... दिनांक .... से .... बुनकर सहकारी समिति मर्यादित .... जिला ....

.... (पंजीयन क्रमांक ....) ऋण रूपये ....
...... (अक्षरी रूपये ....) गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किये है।

हमारी संस्था इस संबंध में शासन द्वारा स्वीकृत नियमों, निर्धारित शर्तो एवं निष्पादित बंधक विलेख का तथा संचालक हाथकरघा द्वारा इस बाबत् समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करेगी।

हमारी संस्था यह भी मान्य करती है कि यदि किन्ही शर्तो का उल्लघंन हुआ तो गोदाम सह कार्यालय भवन शासन वापस हो जायेगा तथा संपूर्ण शासकीय सहायता की वापसी इस संपत्ति से व संस्था कीह अन्य संपत्ति से भू-राजस्व के अवशेष के रूप वसूली की जावे।

यह विलेख आज दिनांक .... को .... बुनकर सहकारी समिति संस्था मर्यादित .... जिला .... की ओर से निष्पादित किया गया है।

साक्ष्य

1. (नाम व पूरा पता)

1. अध्यक्ष
(नाम व संस्था की मुद्रा)

2. (नाम व पूरा पता)

सचिव
(नाम व संस्था की मुद्रा)

3. सदस्य प्रबंध समिति
(नाम व संस्था की मुद्रा)

परिशिष्ट ''दो''

अनुबंध पत्र

(दो प्रतियों में भराया जावे) (वाटर मार्क पेपर पर) एक प्रति जिला हाथकरघा अधिकारी के कार्यालय में रखी जावे तथा एक प्रति संस्था में रखी जावे।		इस स्थान पर प्रशिक्षार्थी का पासपोर्ट साईज का फोटो जिला हाथकरघा अधिकारी से प्रमाणित कराकर चस्पा किया जावे।

(हाथकरघा संचालनालय छत्तीसढ़ रायपुर की नवीन बुनकर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हे
चयन किये गये प्रशिक्षार्थियों द्वारा भरे जाने हेतु)

मै .... आत्मज .... उम्र....... जाति .... वर्ग ...
............निवासी ग्राम .... तहसील ....
.........जिला .... को ग्रामोद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ की समग्र हाथकरघा विका
योजनान्तर्गत नवीन बुनकर प्रशिक्षण योजना जो ....
बुनकर सहकारी समिति मर्यादित .... जिला ....
.... के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है के लिए................ सत्र जो दिनांक .... से ....
तक की अवधि का है के लिए मुझे प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चयन किया गया है एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ शास
ग्रामोद्योग संचालनालय रायपुर के साथ यह अनुबंध निष्पादित करता हूं कि-

1. मै उपरोक्त प्रशिक्षण पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से प्राप्त करूंगा।
2. प्रशिक्षण काल में अनुशासनबद्ध रहूंगा तथा जो भी परीक्षा आदि लिये जायेंगें उन्हें अपनी पूर्ण योग्यता से उत्तीर्ण करने का प्रयास करूंगा।
3. प्रशिक्षण के पश्चात् ली जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा।
4. प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् हाथकरघा उद्योग में तीन वर्ष तक स्वंय कार्यरत रहूंगा।
5. जिला हाथकरघा अधिकारी को हाथकरघा उद्योग स्थापित करने का पूर्ण पता सूचित करूंगा।

यदि उपरोक्त वर्णित बातों के उल्लंघन का दोषी पाया जाऊं तो उप/सहायक संचालक, जिला हाथकरघ
कार्यालय .... को अधिकार होगा कि वह मुझे प्रशिक्षण काल में दी गई समस्त छात्रवृत्ति व
राशि एकमुश्त देय भू-राजस्व की भांति वसूल कर ले । उप/सहायक संचालक, जिला हाथकरघा कार्यालय ....
.... मुझे प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण होने के पूर्व भी किसी दुराचार के कारण प्रशिक्षण से पृथक क
सकेगा और मुझसे वह संपूर्ण राशि वसूल करने का अधिकार होगा जो मुझे छात्रवृत्ति स्वरूप दी गई हो।

उपरोक्त अनुबंध मेरे द्वारा स्वेच्छा से आज दिनांक .... को निम्मांकित गवाहों के सम
निष्पादित किया गया।

साक्षी	हस्ताक्षर
1 हस्ताक्षर	नाम
नाम	पिता का नाम
पिता का नाम	पता
पता	जमानतदार

2 हस्ताक्षर
नाम
पिता का नाम
पता

जमानतनामा

मै .... पिता ....
.... उम्र .... निवासी .... जिला ....
.... जमानत देता हूं कि श्री .... वल्द ....
.... निवासी .... जिला ....
.... द्वारा नवीन बुनकर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छत्तीसढ़ शासन के ....
में निष्पादित अनुबंध में वर्णित बातो का दोषी जाये जाने की दशा में उनसे वसूल की जाने वाली राशि के भुगता
हेतु जवाबदार रहूंगा।

गवाह

1 नाम
पिता का नाम
निवासी
जिला व तहसील
प्रदेश

2 नाम
पिता का नाम
निवासी
जिला व तहसील
प्रदेश

(जिला कार्यालय हेत्

परिशिष्ट ''चार''

करघे/उन्नत उपकरण प्रदाय हेतु बुनकर से अनुबंध

मै .... पिता ...
.... संस्था/निगम/शीर्ष बुनकर संघ के लि
उत्पादन कर रहा हूं, या करूंगा मैने निम्न उन्नत उपकरण के लिए सहायता हेतु आवेदन किया है।

....

अनुक्रमांक उपकरण का नाम कीमत

....

प्रस्तावित सहायता की अनुदान राशि से .... उक्त उपकरण/ करघ
अपने घर पर लगाने हेतु मेरे पास आवश्यक स्थान उपलब्ध है। इसका उपयोग स्वयं करूंगा। किसी अन्य को
उपकरण नही दुंगा और न ही बेचुंगा। बुनाई का कार्य छोड़ने पर उपकरण इस संस्था/निगम/संघ को लौटा दुं
और उप/सहायक संचालक हाथकरघा .... को अधिकार होगा कि वह उपकरण बुनाई कार्य
इच्छुक अन्य बुनकर को वितरित कर सकेगा।

1. सदस्य .... बु.स.स.मर्या. ....
   जिला ....
   नाम ....
   पता ....

2 .... बुनकर सहकारी समिति ....
   जिला ....

गवाह
हस्ताक्षर ....
नाम ....
पता..

परिशिष्ट ''तीन

करार विलेख

यह करार आज दिनांक .... माह .... सन् .... को प्रथा प
राज्यपाल छत्तीसगढ़ जिनकी ओर से संयुक्त संचालक हाथकरघा छत्तीसगढ़ कार्य कर रहे है। (इस विलेख में उन
राज्यपाल संबोधित किया गया है एवं उसमें आवश्यकतानुसार उनके कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित है।) तथ
द्वितीय पक्ष में अनुदान प्राप्तकर्ता .... सहकारी समिति मर्यादित ....
जिला (........................) पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... है (जो कि छत्तीसग
सहकारी समितियां अधिनियम सन् 1960 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है) जिनको आगे संस्था संबोधित किया गया है
चूंकि संस्था के आवेदन पर राज्य शासन अथवा संचालक हाथकरघा अथवा संयुक्त संचालक हाथकरघा द्वारा संस्

को उनके उद्योग के विकास के लिए ''हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को समग्र हाथकरघा विकास योजन नियम 2012 जिन्हें आगे नियम संबोधित किया गया है) के अंतर्गत अपने ज्ञापन क्रमांक .... दिनां .... द्वारा ....करघागृह के जीर्णोद्धार रूपये .... (अक्षरों में रूपये ....) अनुदान संस्था को प्रदान करन स्वीकार किया है। अतएव अब यह करार इस बात की साक्षी है और एतद् द्वारा यह करार किया गया है कि -

1. प्राप्तकर्ता को अनुदान रूपये .... (अक्षरों में रूपये ....) प्रदान कि गये है। अनुदान प्राप्तकर्ता .... स्थापना करने में संपूर्ण अनुदान रा का उपयोग एक वर्ष की समयावधि में करेगा।
2. .... स्थापना के उपरांत संस्था उसे विक्रय, हस्तांतरण या अन्य प्रका के उसके स्वामित्व में परिवर्तन नही करेगी। बिना संचालक ग्रामोद्योग (हाथकरघा) छत्तीसढ़ की स्वीकृति उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नही करेगी। उसे या उसका कोई भाग लीज पर, किराये पर या अन्य प्रका किसी को उपयेाग करने हेतु अनुमति नही देगी। उसे केवल अपने उद्योग के उपयोग में लावेगी। उसक सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु समुचित सावधानी बरतेगी। इस संबंध में संचालक हाथकरघा के निर्देशों का पू पालन करेगी। .... स्थापना पूर्ण होने पर उस संपत्ति का अग्नि बीमा करान होगा।
3. संस्था नियम के समस्त प्रावधानों एवं उसमें समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन, परिवर्तन त उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तो का पूर्णरूपेण पालन करेगी।
4. नियम तथा उपरोक्त वर्णित शर्तो का पालन न करने पर समस्त अनुदान राशि का दुरूपयोग किया जान समझा जावेगा एवं समस्त अनुदान की राशि एक मुश्त वसूली योग्य हो जायेगी। इस करार के अनुक्रमांक और 5 के अंतर्गत सहायता राशि की वसूली भू राजस्व के अवशेष की भांति की जा सकेगी।
5. संस्था का उद्योग बंद हो जाने एवं उसके पुनः चालन की संभावना न होने या संस्था के अवसान की स्थि में शासकीय सहायता से निर्मित यह संपत्ति मय उसके भू भाग के जिस पर वह निर्मित है, का स्वामित राज्य शासन का हो जावेगा और शासन की अनुमति से उसकी बिक्री होकर अनुदान राशि की वापसी होगी शासन को यह अधिकार होगा कि वे अन्य किसी हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति को उसके विकास लिए उक्त संपत्ति हस्तांतरित करें।
6. नियम व उपरोक्त वर्णित शर्तो के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अंति होगा।

हस्ताक्षर एवं मुद्रा
संयुक्त संचालक हाथकरघा

नाम

1 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता) (राज्यपाल की ओर से) दिनांक
2 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता)

हस्ताक्षर
अध्यक्ष अथवा सचिव एवं मुद्रा
बुनकर सहकारी संस्था
(संस्था की ओर से)
दिनांक

1 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता)
2 (हस्ता. नाम एवं पूरा पता)

समग्र हाथकरघा विकास योजनान्तर्गत सहायता हेतु चेक लिस्ट

क्र.	अभिलेख का नाम	संलग्न अभिलेख हां/नही	प्रस्ताव पृष्ठ क्रमांक कहा से कहा
1.	आवेदन पत्र		
2.	गत वित्तीय पत्रक		
3.	संस्था का ठहराव		
4.	प्रोजेक्ट रिर्पोट		
5.	कार्य योजना		
6.	नवीन बुनाई प्रशिक्षण हेतु प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-1(क) में जानकारी		
7.	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हेतु प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-2(क) में जानकारी		
8.	अ. नवीन डिजाईन विकास सहायता हेतु प्रपत्र-3 में जानकारी		
	ब. कम्प्यूटर एडेड टेक्सटाईल डिजाईन सिस्टम हेतु कोटेशन		
9.	अ. अधोसरंचना निर्माण हेतु प्रपत्र-4 की जानकारी		

	ब. वर्तमान में संस्था के पास उपलब्ध अधोसरंचना प्रपत्र-4(क)		
	स. अधोसरंचना संबंधी अनुबंध पत्र सहित नंबर सहित		
	द. संस्था के पास भूमि उपलब्धता प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा सहित		
	इ. शासकीय एजेंसी द्वारा तैयार प्राक्कलन		
	ई. परिशिष्ट-तीन में अनुबंध		
10.	अ. बुनकर आवास सह करघा गृह हेतु प्रपत्र-5 की जानकारी		
	ब. हितग्राही बुनकर के पास भूमि उपलब्धता संबंधी समिति/सरपंच का प्रमाण पत्र		
	स. बुनकर आवास सह करघा गृह हेतु आवेदित हितग्राही की सूची प्रपत्र-5 (क)		
11.	अ. उन्नत उपकरण हेतु सहायता प्रपत्र-6		
	ब. उन्नत उपकरण सहायता लेने वाले बुनकरों की सूची प्रपत्र-6(क)		
12.	अ. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार हेतु प्रपत्र-7 की जानकारी		
	ब. शासकीय एजेंसी द्वारा तैयार प्राक्कलन		
13.	अ. बुनकर आवास क्षेत्र में बुनियादी सुविधा हेतु सहायता प्रपत्र-8 की जानकारी		
	ब. सरल क्र. 1 से 4 तक सहायता हेतु प्लान एस्टीमेट		
	स. सरल क्र. 5 के संबंध में पारित कोटेशन की सत्यापित छायाप्रति		
14.	अ. विपणन विकास हेतु ब्रोसर कैटलाग हेतु प्रपत्र-9 की जानकारी		
	ब. कोटेशन		
15.	परिशिष्ट-एक अनुबंध पत्र		

उप/सहायक संचालक
जिला हाथकरघा कार्यालय
जिला ....